न्यायालय–विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधि0)/अपर सत्र न्यायाधीश, बुलन्दशहर

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–3507/2021
(CNR No-UPBU01-006094-2021)

औसामा पुत्र राजा पहलवान, निवासी–मौ0 फैसलाबाद, थाना कोतवाली नगर, जिला बुलन्दशहर

बनाम

राज्य।

मुकदमा अपराध सं0–1197/2021.
धारा–328, 376, 506, 120बी भा0द0सं0 व 3/4 पॉक्सो अधिनियम।
थाना–कोतवाली नगर (बुलन्दशहर)।

24.09.2021

उपरोक्त जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त की ओर से उपरोक्त अपराध में जरिये विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त अपराध उपरोक्त में न्यायिक अभिरक्षा में है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन पक्ष की तरफ से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना तथा सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है। उसे झूठा फंसाया गया है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। पूरा परिवार ऐसे अपराध में शामिल नहीं हो सकता। पूरा केस झूठा बनाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त न तो पीड़िता को ले गया और न ही कोल्ड ड्रिंक पिलाई और न होटल के कमरे में ले जाकर बलात्कार किया। उसके विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं है। वह काले रंग की कार में किसी को नहीं ले गया। उसके विरूद्ध उक्त धाराओं में कोई मुकदमा नहीं बनता है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। तद्नुसार जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

अभियोजन पक्ष की तरफ से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा गया कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाये।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा खलीक द्वारा सम्बन्धित थाना हाजा पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गई कि उसके घर पर राजा पहलवान व उसके परिवार का काफी अरसे से आना जाना है। इसलिए एक दूसरे के परिवार वाले एक दूसरे के परिवार वालों को जानते पहचानते हैं। कई बार राजा पहलवान का बेटा औसामा प्रार्थी के घर पर अपने दोस्त अदनान पुत्र नईम, उबैश पुत्र अज्ञात, तालिब पुत्र अज्ञात, निवासीगण बुलन्दशहर को साथ लेकर उसके घर पर आ चुका है। दिनांक 29.07.2021 को समय करीब 3.00 बजे दोपहर उसकी नाबालिग पुत्री/पीड़िता उम्र करीब 15 वर्ष अपने घर से सब्जी लेने चौक बाजार गई थी। जैसे ही उसकी पुत्री तहसील के पास पहुॅची तो उसे नफीसा पत्नी राजा पहलवान व दानिश पुत्र राजा पहलवान मिले। जिन्होंने उसकी नाबालिग पुत्री को बातों में लगा लिया। काली नदी की तरफ से तभी एक काले रंग की कार आयी जिसमें औसामा पुत्र राजा पहलवान व उसके दोस्त अदनान, उवैश व तालिब बैठे हुए थे। कार को तालिब चला रहा था। उक्त कार इन लोगों ने जहां पर उसकी नाबालिग बेटी से नफीसा व दानिश बातें कर रहे थे, वहां आकर रोक दी। नफीसा व दानिश ने उसकी नाबालिग बेटी से कहा कि तू औसामा के साथ कार से आईसक्रीम खाने चली जा, अभी तुझे थोड़ी देर में वापस छोड़ देंगे। उसकी नाबालिग बेटी इन लोगों की बातों में आकर कार से औसामा व उसके दोस्तों के साथ चली गई। रास्ते में उसकी नाबालिग बेटी को औसामा व उसके दोस्त बहला फुसला कर शहर के काला आम चौराहे से आगे किसी होटल में ले गये। औसामा व उसके तीनों दोस्तों ने उसकी नाबालिग पुत्री को कोल्ड

ड्रिंक पिलाई जिसे पीने के बाद उसकी बेटी बेहोश सी हो गई। होटल के कमरे में औसामा ने जबरदस्ती उसकी बेटी के साथ कई बार गलत काम (बलात्कार) किया। उसकी बेटी को इन लोगों के साथ कार में बैठ कर जाते हुए तहसील पर मौजूद अफजाल मास्टर व अकबर ने अपनी आंखों से देखा था। जब उसकी बेटी काफी देर तक वापस नहीं लौटी तो उसने व उसके परिवार वालों ने उसे काफी इधर उधर तलाश किया। रात को करीब 8.30 बजे अकबर व अफजाल मास्टर ने उसे बताया कि उन्होंने उसकी लड़की/पीड़िता को औसामा व उसके दोस्तों के साथ तहसील के पास से काली कार से करीब तीन सवा तीन बजे जाते हुए देखा था। वे मालूमात करने औसामा के घर जाने वाले ही थे कि करीब 9.00 बजे उसकी बेटी रोती बिलखती घर आ गई और बताया कि जब उसे आठ–नौ बजे होश आया तो उसने स्वयं को होटल के कमरे में औसामा के साथ पाया। उसने कहा कि वह शोर मचा देगी, नहीं तो उसे उसके घर पहुॅचा दो तो औसामा ने उसे धमकाया और बड़ी मुश्किल से औसामा उसे काली मस्जिद के पास ऊपर कोट, बुलन्दशहर छोड़ कर चला गया और जाते जाते धौंस दी कि यदि उसने घटित घटना के बारे में अपने घर जाकर बताया तो उसे व उसके परिवार को जान से मार देगा। घर आकर उसकी बेटी ने रो रोकर उसे व उसके परिवार वालों को उक्त घटना का सारा हाल बताया। शर्म व इज्जत के खातिर अब तक रिपोर्ट लिखाने न आ सका, अब रिपोर्ट को आया हूॅ। रिपोर्ट लिख कर कानूनी कार्यवाही की जाये। उक्त सूचना के आधार पर थाना हाजा पर अभियुक्तगण श्रीमती नफीसा, दानिश, औसामा, अदनान, उवैश व तालिब के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत हुई।

पीड़िता की आयु के सम्बन्ध में केस डायरी के साथ पीड़िता का छात्र पंजी तथा स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न है, जिसमें पीड़िता की जन्मतिथि 13.07.2007 अंकित है। वर्तमान मामले की घटना दिनांक 29.07.2021 की बतायी गई है। अतः घटना की दिनांक को पीड़िता लगभग 14 वर्षीय अवयस्क बालिका थी।

पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत **धारा–161 दं0प्र0सं0** में मुख्यतः कथन किया है कि दिनांक 29.07.2021 को उसे अम्मी ने चौक बाजार 3.00 बजे करीब सब्जी लेने भेजा था। तहसील पर दानिश भाई और नफीसा मिली थीं। वो पूछने लगी कहां जा रही हो। उसने बताया सब्जी लेने चौक जा रही है। आंटी उससे बात करने लगी। वहां पर ब्लैक रंग की कार आयी जिसमें उवेश, अदनान, तालीब, औसामा कार में थे। नफीसा आंटी ने कहा उनके साथ चली जा, ये आईसक्रीम खाने जा रहे हैं। तुम इनके साथ चली जाओ, ये तुम्हें छोड़ देंगे। वह उनके साथ कार में बैठ कर चली गई थी। वे उसे काले आम की तरफ ले गये। वे रेलवे स्टेशन की पटरी पर ले गये। उन्होंने उसे कोल्डड्रिंक पिलायी। पीते ही उसे नशा चढ़ने लगा। वहां से उसे होटल लेकर चले गये। रेलवे स्टेशन की पटरी से आगे जो होटल है उसमें उसे औसामा अपने रूम में लेकर चला गया था। उसने उसके साथ रेप किया। रात में 8.00 बजे उसकी आंख खुली तो उसके बदन पर कपड़े नहीं थे। वह बिना कपड़ों के थी। वह वहां पर चिल्लाने लगी। जब वह उठी तब औसामा था वहां पर उन लोगों ने बाहर से कुन्डी लगा दी थी। औसामा से घर छोड़ने को कहा। उसने बहुत बार कहा। तब उसने उसे घर छोड़ा। उसने उसे काली मस्जिद के पास उसे छोड़ कर चला गया और धमकी देकर कहा कि किसी को बताया तो उसके घरवालों को जान से मार देगा। घर आने के आधे घण्टे बाद उसने अपनी मम्मी को सब बातें बतायीं। उसे तब तक भी नशा हो रहा था और वह फिर से सो गई थी।

पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत **धारा–164 दं0प्र0सं0** में मुख्यतः कथन किया कि उसकी उम्र 18 वर्ष है। वह अपनी जन्मतिथि नहीं जानती। वह कक्षा 7 तक पढ़ी है। औसामा को दस महीने से जानती है। वो जिम ट्रेनर है। 29 जुलाई को होटल में गई थी। होटल का नाम प्रेम रेस्टोरेन्ट है। होटल में वे दोनों तीन चार घण्टे रूके थे। दोनों के बीच दो बार शारीरिक सम्बन्ध बने थे। वह तीन चार घन्टे के बाद घर आ गई और घर पर सबको बता दिया। वह औसामा से निकाह करना चाहती है। औसामा निकाह करने के लिए तैयार है। अब वह केस चलाना नहीं चाहती।

समस्त प्रपत्रों के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त द्वारा अवयस्क पीड़िता को अन्य सहअभियुक्त के साथ षडयंत्र कर व मिल कर कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ

पिला कर उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाये जाना, प्रवेशन लैंगिक हमला किया जाना व जान से मारने की धमकी दिया जाना बताया गया है। पीड़िता लगभग चौदह वर्षीय नाबालिग बालिका है तथा अभियुक्त द्वारा उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाकर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया गया है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है।

मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना अभियुक्त की जमानत हेतु आधार पर्याप्त नहीं हैं। तद्नुसार अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त औसामा का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

(डा0 श्रीमती पल्लवी अग्रवाल)
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधि0)/
अपर सत्र न्यायाधीश, बुलन्दशहर।
जे0ओ0 कोड–यू0पी0 6191.

दिनांक–24.09.2021
(एस0सी0 सक्सेना–स्टेनो)